अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, दुमका।

रे0मि0 अपील सं0 62/11-12

जामिनी देवी.......................................अपीलकर्त्ता

बनाम

विदेशी राणा...उत्तरकारी

।।आदेश।।

16.01.2020

यह रे0मि0 अपील वाद सं0 62/11-12 जामिनी देवी पति-शीतल मिस्त्री पुत्री-रिखिय देवी सा0 जरुमण्डी, थाना-जरमुण्डी अनुमंडल एवं जिला-दुमका बनाम विदेशी राणा पिता-अमीन राणा सा0-आसनबहियार थाना-ठाड़ी सबडीविजन एवं जिला-देवघर के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के अभिलेख सं0- 51/99 में पारित आदेश दिनांक 17.05.2003 के विरूद्ध में दायर किया है। यह मामला बासुकीनाथ अधिसूचित क्षेत्र के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्व0-रिखिया देवी की मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित है।

मैने अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा दाखिल कागजातो का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में दाखिल कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि न्यायालय अवर न्यायाधीश सप्तम देवघर के Title (D) Suit No-60/2000 मे दिनांक 22.01.2010 को इस संबंध में पूर्ण विवेंचना करते हुए आदेश पारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस वाद पर किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः वाद की कारवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

16/01/20

अपर समाहर्त्ता,
दुमका।

16/01/20

अपर समाहर्त्ता,
दुमका।